[illegible]य उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 164 / 2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. . 2023 / 528

श्री विजय कुमार पिता श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी वार्ड नम्बर 03 आदर्श पार्क के पास इशक्काबाद, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2– पैरोकार सरकार उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 02.11.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए तहसील निम्बाहेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 337 की आराजी नम्बर 1586 रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की जाति ब्राहम्ण दर्ज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रेता खातेदारों की जाति श्रीवास्तव दर्ज नहीं की गई जो गलत है। अतः वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवास्तव राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

2. उक्त प्रकरण धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर्ड किया किया गया। प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार [illegible]ड़ा ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा की [illegible] अनुसार प्रार्थी के पिता श्री रमेशप्रसाद एवं माता सहोदरा देवी श्रीवास्[illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रम संख्या 40 दिनांक [illegible] निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 1171 रकबा 2 बीघा 2 [illegible] श्री गिरजाशंकर पिता [illegible]चन्द, सीतादेवी पत्नी गिरजाशंकर का दर्ज 1 / 8 हिस्सा क्रय किया गया। [illegible] पत्र अनुसार ग्राम निम्बाहेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1457 निर्णय दिनांक 01.05.1989 से खातेदार श्री गिरजाशंकर पिता फुलचन्द, सीतादेवी पत्नी गिरजाशंकर के बजाय श्री रमेशप्रसाद पिता भगवती प्रसाद, सहोदरा देवी पत्नी रमेशप्रसाद के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। नामान्तरकरण में क्रेता खातेदार की जाति दर्ज नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

गई तथा मूल खातेदार के अनुसार जाति ब्राहम्ण दर्ज हुई। जो गत रेकार्ड से आदिनांक तक चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता की जाति श्रीवारत्व दर्ज थी। नामान्तरकरण में जाति दर्ज नहीं होने से पूर्व क्रेता खातेदार की जाति ब्राहम्ण दर्ज हुई, जो वर्तमान समय तक यथावत है। क्रेता खातेदार सहोदरा देवी पत्नी रमेशप्रसाद की मृत्यु हो जाने से वर्तमान में भूमि उनके वारिसानों के नाम दर्ज होकर उनकी भी जाति ब्राहम्ण है। तसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रेता खातेदारों की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवारताव किया जाना उचित बताया है।

3. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की खाता संख्या 337 की आराजी नम्बर 1586 रकबा 0.3400 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है एवं ग्राम निम्बाहेड़ा की नामान्तरकरण संख्या 1457 की फोटो प्रति, विक्रय पत्र फोटोप्रति, प्रार्थी ने अपना स्वयं का आधार कार्ड, पेन कार्ड, अपनी बहन माया, मीनू की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 10वीं अंकतालिका की फोटोप्रति एवं अपने पिता का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड, परिवार कार्ड एवं अपनी माता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 50 रूपये के स्टाम्प पर नॉनज्युडिशियल शपथ पत्र की फोटो प्रति पेश की है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी के पिता श्री रमेशप्रसाद एवं माता सहोदरा देवी श्रीवास्तव द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रम संख्या 40 दिनांक 20.01.1986 के द्वारा ग्राम निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 1171 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में दर्ज खातेदार श्री गिरजाशंकर पिता फुलचन्द, सीतादेवी पत्नी गिरजाशंकर का दर्ज 1/8 हिस्सा क्रय किया गया। विक्रय पत्र अनुसार ग्राम निम्बाहेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1457 निर्णय दिनांक 01.05.1989 से खातेदार श्री गिरजाशंकर पिता फुलचन्द, सीतादेवी पत्नी गिरजाशंकर के बजाय श्री रमेशप्रसाद पिता भगवती प्रसाद, सहोदरा देवी पत्नी रमेशप्रसाद के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। नामान्तरकरण में क्रेता खातेदार की जाति दर्ज नहीं की गई तथा मूल खातेदार के अनुसार जाति ब्राहम्ण दर्ज हुई। जो गत रेकार्ड से आदिनांक तक चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता की जाति श्रीवास्तव दर्ज थी। नामान्तरण में जाति दर्ज नहीं होने से पूर्व क्रेता खातेदार की जाति ब्राहम्ण दर्ज हुई, जो वर्तमान समय तक यथावत है। क्रेता खातेदार सहोदरा देवी पत्नी रमेशप्रसाद की मृत्यु हो जाने से वर्तमान में भूमि उनके वारिसानों के नाम दर्ज होकर उनकी भी जाति ब्राहम्ण है। प्रार्थी अब ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 1586 रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रेता खातेदारों की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवास्तव राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रेता खातेदारों की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवास्तव दर्ज करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purwadia
Date: 2024.01.12 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

अनुशंषा की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट से हम सहमत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपना स्वयं का आधार कार्ड पेन कार्ड, अपनी बहनों की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 10वीं अंकतालिका, अपनी माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने पिता का पेन कार्ड, विक्रय पत्र, आदि में जाति श्रीवास्तव अंकित है। इसलिए ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 1586 रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रेता खातेदारों की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवास्तव राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 1586 रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि में जमाबन्दी की क्रम संख्या 15 व 16 पर अंकित खातेदार प्रार्थी के पिता रमेश प्रसाद एवं क्रम संख्या 4, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 23 पर अंकित रमेश प्रसाद के पुत्र एंव पुत्रियां की जाति ब्राहम्ण के बजाय श्रीवास्तव राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

6. निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

2/11/23

रमेश सीरवी पुनाड़िया
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested